(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3245–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत छैगांवमाखन तहसील व जिला खण्डवा प्रकरण कमांक 03/ए–70/2013–14

कड़वा पिता गोकुल
निवासी ग्राम अहमदपुर खैगांव
तहसील व जिला खण्डवा म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. जमनाबाई पति प्यारा
2. प्यारीबाई पति कन्हैया
3. बसंतीबाई पिता कन्हैया
4. गंगाबाई पिता कन्हैया
5. पार्वतीबाबई पिता कन्हैया
6. लक्ष्मीबाई पिता कन्हैया
7. रूकमणीबाई पिता कन्हैया
8. मांगीलाल पिता देवराम
9. दगडू पिता देवराम
10. बाबू पिता देवराम
11. नीलाबाई पिता देवराम
12. रमाबाई पिता देवराम
13. मीठीबाई पति ओंकार

14. नानकराम पिता औंकार
15. सुरेश पिता औंकार
16. भागवतीबाई पिता औंकार
17. रमेश पिता औंकार
18. तुलसाबाई पिता औंकार
19. शांताबाई पति सखाराम
20. रामेश्वर पिता सखाराम
21. गजानंद पिता सखाराम
22. सुमनबाई पिता सखाराम

सभी निवासी ग्राम अहमदपुर खैगांव
तहसील व जिला खण्डवा म0प्र0

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0सी0 पाटिल, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 17 दिसम्बर 2014)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत छैगांवमाखन तहसील व जिला खण्डवा प्रकरण कमांक 03/ए–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 3–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

जिला खण्डवा ग्राम अहमद

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक विचाराधीन भूमि पर 30 वर्षों से मकान बनाकर काबिज है, परन्तु तहसीलदार द्वारा धारा 250 के तहत अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक (अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक) ने अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन पत्र का इस आधार पर निरस्त कर दिया कि बिना अनावेदकगण (अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण) की सुनवाई के किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी आवेदन पत्र पर निर्णय के पूर्व दोनों पक्षों को सुनकर आदेश देना विधि अनुसार है। तहसीलदार के उक्त आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अभी अधीनस्थ न्यायालय में धारा 250 के आवेदन पर दोनों पक्षों के साक्ष्य लिए जाएगें। आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही के समय अपना पक्ष एवं साक्ष्य रखने के लिए स्वतंत्र है, उसके अवसर समाप्त नहीं हुये हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर